जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनांक: 20 फरवरी, 2024

सेवा में,

अध्यक्ष,
उच्च स्तरीय समिति
एक राष्ट्र, एक चुनाव
नई दिल्ली

विषय- एक राष्ट्र-एक चुनाव - उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा आमंत्रित सुझाव- भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण

भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का धन्यवाद ज्ञापित करती है कि उनके द्वारा एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाकर विमर्श किया गया है। यह विमर्श सभी घटकों एवं हितधारकों के साथ किया गया है। राजनीतिक दल भी चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख हितधारक हैं अतः भाजपा भी इस विमर्श में अपने सकारात्मक योगदान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध एवं प्रकाशित बिंदुओं पर व्यापक अध्ययन एवं चर्चा की है। जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हम अपने प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित कर रहे हैं।

चुनाव लोकतंत्र का मूलमंत्र है। पारदर्शी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनादेश लोकतंत्र का मूल आधार स्तम्भ है। ऐसे जनादेश में सुनिश्चितता एवं स्थायित्व हो तो वह लोकतंत्र में सुशासन को मजबूत करता है। विकसित भारत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए यह सुशासन एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लागू किया जा सकता है एवं जिससे हमारी युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को भी पूरा किया जा सकता है।

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

एक राष्ट्र, एक चुनाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे सुझाव इस प्रकार हैं:

क. भारतीय जनता पार्टी की सुविचारित राय है कि यदि हम एक राष्ट्र-एक चुनाव के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें तो आधुनिक भारत के लोकाचार और आकांक्षा को प्रतिबिंबित किया जा सकता है।

ख. भारतीय जनता पार्टी का यह भी मत है कि सभी चुनावों के लिए (लोकसभा, विधानसभा और पंचायत) एक ही मतदाता सूची बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

ग. भाजपा का यह मानना है कि पंचायत के चुनाव राज्यों के चुनाव आयोग ही करें लेकिन उसका समय लोकसभा, विधानसभा के साथ हो। हालाँकि इस पर दूसरे चरण में विचार किया जा सकता है।

घ. भाजपा का यह स्पष्ट मत है कि पहले चरण में हमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक-साथ लेने की व्यवस्था तथा एक ही मतदाता सूची बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

एक राष्ट्र-एक चुनाव एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कार्यरूप देने का समय आ गया है। अतः अपने देश के अमृतकाल में इस सिद्धांत को प्रस्थापित करके हमें अपनी युवा पीढ़ी को एक आदर्श शासन व्यवस्था सौंपनी चाहिए।

इस पूरे विषय में हमारी पार्टी की भूमिका संलग्न है।

आपका

(जगत प्रकाश नड्डा)

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

लोकतंत्र की प्रगति के लिए आवश्यक
एक राष्ट्र -एक चुनाव

भारत पूरी दुनिया में समर्थ और परिपक्व लोकतंत्र की एक मिसाल है। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र का मूलमंत्र है। हमारे करोड़ों प्रगल्भ मतदाता हमारे लोकतंत्र के प्राण हैं।

भारत जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में, लोग विभिन्न इकाइयों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिसमें संसद के सदस्यों, राज्यों में विधानसभा के सदस्यों और स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायत के सदस्यों के चुनाव जैसे विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन होते हैं।

चुनावों के माध्यम से शासन की इकाइयों को, चाहे वह भारत सरकार के रूप में केंद्रीय स्तर पर हों, प्रत्येक राज्य की सरकार के रूप में राज्य स्तर पर हों अथवा स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर, इन सभी का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों के कल्याण के लिए उनके प्रति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। भारत की जनता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को प्रभावी ढंग से पूरा करने के अलावा उनकी अन्य कोई प्राथमिकता न हो।

चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता और अधिकता का नकारात्मक असर देश के लोकतंत्र की प्रगति पर पड़ता है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर विभिन्न संस्थानों द्वारा मत और सुझाव दिए जाते रहे हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का भी विचार है कि शासन के स्थायित्व एवं निरन्तरता के लिए **'एक राष्ट्र -एक चुनाव'** आवश्यक है। यह हमारे लोकतंत्र की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में अब यह देखा गया है कि पूरे वर्ष, किसी न किसी महीने, किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं। सामान्यतः लोकसभा के एक पांच वर्षीय कार्यकाल में, औसतन, देश में हर साल 5 से 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में स्थानीय प्राधिकरणों, जो स्थानीय स्व-शासन की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, के चुनाव भी उस दौरान होते हैं।

यह एक चौंकाने वाला तथ्य है कि देश के राज्यों में से एक राज्य महाराष्ट्र में, 2016-17 में वर्ष के 365 दिनों में से 307 दिनों के लिए उस राज्य का कोई ना कोई हिस्सा आचार संहिता के अधीन था। इस तरह हमेशा चुनावी माहौल में रहना देश के प्रगति के लिए और लोकतंत्र के लिए भी घातक हो सकता है।

चुनावों की इस मौजूदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें समूचा देश राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर, हर समय चुनावी मोड में ही रहता है, जिसके कारण सार्वजनिक खजाने को ऐसे आवधिक चुनावों के संचालन के लिए भारी बोझ उठाना पड़ता है।

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

बार-बार चुनाव कराए जाने से मानव संसाधन के साथ-साथ समय एवं वित्तीय संसाधनों का भी अनावश्यक व्यय होता है। जब भी देश में चुनाव की घोषणा होती है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर या स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर हो, तो उस स्थान पर आचार संहिता लागू हो जाती है। ऐसा करने से प्रशासन के प्रत्येक इकाई के विकास और प्रभावी शासन पर निम्न दो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं-

1. चुनावों की संभावित तिथियां ज्ञात होते ही सभी राजनैतिक दल आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लघुकालिक और लोक लुभावन निर्णय ले लेते हैं जो आम तौर पर सरकारी निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं। परिणामतफैसला लेने का तरीका लोकलुभावन हो गया है जबकि उसे : नीतिगत होना चाहिए।
2. चुनावों की अवधि के दौरान आचार संहिता लागू होती है जिसके कारण विकास के कार्य रुक जाते हैं और आचार संहिता हटाये जाने तक नीति निर्धारण का काम रुक जाता है।

वैसे तो समकालिक चुनावों पर हाल ही में व्यापक रूप से बहस की गई है और अनेक सवाल भी उठाये गए हैं, फिर भी यह भारत के लिए कोई नयी बात नहीं है। 1951-52 में भारत में, तत्कालीन समस्याओं के बावजूद, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। इस व्यवस्था को वर्ष 1957, 1962 और 1967 में हुए तीनों आम चुनावों में सफलतापूर्वक अपनाया गया। इसलिए, एक बात तो साफ़ हो जाती है कि हमारे देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का तर्कसंगत क्रियान्वन 1952 के आम चुनावों में ही हो गया था। हालांकि, वर्ष 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन की वजह से यह चक्र बाधित हो गया। इसके बाद, वर्ष 1970 में लोकसभा को भी समयपूर्व भंग कर दिया गया और तब से भारत अनुक्रमिक और कभी न रुकने वाले चुनावों के एक जटिल जाल में फंसता गया। देश के विकास और प्रगति, मतदाताओं की जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि और यह तथ्य कि 1952 में एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार को सफलतापूर्वक लागू किया गया था, को ध्यान में रखने पर यह स्पष्ट होता है कि देश इस सिद्धांत को तर्कसंगत रूप से कार्यान्वित कर सकता है।

1970 में समकालिक चुनाव प्रक्रिया बाधित होने के बाद, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सिद्धांत वर्ष 1983 में प्रकाशित भारत के निर्वाचन आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट में नज़र आया। इसके बाद, कानून आयोग की रिपोर्ट संख्या 170 ने वर्ष 1999 में इस सिद्धांत को और स्पष्ट किया। यह सिद्धांत वर्ष 2015 में आई संसद की स्थायी समिति की 79 वीं रिपोर्ट का भी हिस्सा था।

चुनावी अनियमितता के आलोक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा **'एक राष्ट्र -एक चुनाव'** संबंधी विषय को कई बार संबोधित किया गया है, जिसे देश भर में सकारात्मक समर्थन हासिल हुआ है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 5 सितंबर, 2016 को समकालिक चुनाव

आयोजित करने के विचार को स्पष्टता देते हुए कहा था –

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

"....वर्तमान में पूरे वर्ष देश में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं और इस वजह से नियमित कार्य रुक जाते हैं क्योंकि उस दौरान आचार संहिता लागू हो जाती है। इससे न केवल राज्यों के बल्कि केंद्र सरकार के भी काम बंद हो जाते हैं। हमारी संसदीय नीतियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करके हमने जो अपनी क्षमता साबित की है, यदि राजनीतिक दल चाहें तो.....राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को इस समस्या और राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के मुद्दों के बारे में सोचना होगा।"

भाजपा का अभिमत है कि केवल चुनाव में खर्च कम करना मूल हेतु नहीं है। इसके साथ ही बार-बार चुनाव होने पर, बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है जिससे नीतिगत निर्णय लेने में अवरोध होता है और विकास योजनाएं बाधित होती हैं। एकसाथ चुनाव कराने से नीतिगत निर्णय में निरंतरता बनी रहेगी और वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

एक देश एक चुनाव होने से बड़ा लाभ यह होगा कि सरकारों का दृष्टिकोण राजनीति केन्द्रित कम और सुशासन केन्द्रित अधिक होगा। सभी सरकारें सुशासन पर जोर देंगी। अत: एक देश-एक चुनाव से सुरक्षाबलों का उपयोग आंतरिक अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। इसके साथ ही मतदाता अपने चुनावी विकल्प का उपयोग प्रभावी ढंग से कर पाएंगे तथा प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग भी विकास संबंधी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

75 वर्षों की यात्रा में चुनाव लोकतंत्र के एक उत्सव का पर्याय बन गए हैं। भारतीय मतदाता पर्याप्त रूप से जागरूक हैं और वे एक ही समय में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अलग-अलग मुद्दों के आधार पर स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं और उसी के अनुरूप इनका समाधान करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है।

बार-बार चुनाव होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता तो आती ही है अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत विभाजन भी बढ़ता है। अत: एक देश एक चुनाव से राजनीतिक स्थिरता आएगी और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा विदेशी और कॉर्पोरेट निवेश में वृद्धि होने के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया में भी आसानी होगी और मतदाता चुनाव में बढ़चढ़ कर भाग लेंगे।

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

एक समय चुनाव सिद्धांत का व्यावहारिक क्रियान्वयन:

लोकसभा चुनावों के साथ विभिन्न स्तरों के चुनावों के आयोजन के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकालों में कुछ स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य बनाने की आवश्यकता हो सकती है। इन सिद्धांतों को संवैधानिक/सांविधिक सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए और विभिन्न हितधारकों- जैसे राजनीतिक दलों, सरकारों और आम जनता/मतदाताओं आदि को स्वीकार्य होना चाहिए। ऐसे स्वीकार्य सिद्धांतों को तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों को फिर से देखना आवश्यक है

संघीय ढांचे को मजबूती:

संघीय ढांचा भारत के संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है। समकालिक चुनाव भारतीय लोकतंत्र की संघीय संरचना को मजबूत करता है क्योंकि समकालिक चुनावों से सरकार को मिलने वाली स्थिरता से सरकारों के संचालन में स्थायित्व व निरन्तरता रहेगी।

हम उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का अभिनंदन करना चाहेंगे की उन्होंने इस विषय पर सुझाव देने के लिए एक प्लाट्फ़ोर्म दिया जिससे पलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ हज़ारों नागरिकों ने भी अपने सुझाव दिए।

एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्वपूर्ण प्रासंगिक बिन्दु:

देश के लोगों के दीर्घकालिक और सार्वजानिक हित में, भारतीय जनता पार्टी विनम्रता से यह कहती है कि कई कठिनाइयों के बावजूद, भारतीय लोकतंत्र की सराहनीय विशेषताओं में से एक चुनाव में उच्च मतदाता भागीदारी है। यह लोगों के इस देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था में गहरे विश्वास को दर्शाता है। हमें इस विश्वास को अपने ही नागरिकों पर भारी पड़ने वाले चुनावी खर्चों और इसके दुष्प्रभावों के बोझ के नीचे नहीं दबाना चाहिए। भारत को एक विकासशील देश होने के नाते चुनावों की बढ़ती लागत, संबंधित सरकारों और चुनाव आयोग पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ चुनाव की अवधि के दौरान' आचार संहिता' लागू होने के कारण हो रहे प्रशासनिक घाटे जैसे मुद्दों से बोझिल नहीं होना चाहिए।

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से अनेक सकारात्मक बदलाव आयेंगे। जिन सकारात्मक लक्ष्यों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव के विचार को देश के सामने रखा गया है, वो निम्न हैं-

1. **सुशासन राजनीति का केंद्र बिन्दु बनेगा।**
2. **संसाधनों के अनावश्यक अपव्यय पर रोक लगेगी।**
3. **राजनीति में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव होगा।**
4. **सुरक्षाबलों का लंबे समय तक चुनावी उपयोग नहीं होने से उनका अधिकतम उपयोग देश और नागरिकों की सुरक्षा में संभव हो सकेगा।**
5. **राजनीति में कालेधन के प्रभाव को कम करने में कामयाबी मिलेगी**
6. **नियमित चुनाव से सामाजिक वर्गीकरण, भेदभाव व बंटवारे की राजनीति के कारण हर समय सामाजिक सौहार्द पर प्रभाव** कम होगा।
7. **मतदाता के निर्णय क्षमता पर प्रभाव**
8. **राजनीतिज्ञों के लोकतान्त्रिक दायित्वों में वृद्धि**
9. **देश में राजनैतिक स्थिरता की ओर मजबूती का कदम**

भविष्य के लिए सुझाव

इस संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार प्रस्तावित हैं:-

- लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय प्राधिकरण चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची होनी चाहिए।

- सामान्य भाषा में, समकालिक चुनावों का सार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव है। आदर्श तौर पर, समकालिक चुनावों का अर्थ है कि संवैधानिक पदों के सभी तीन स्तरों के चुनाव समन्वित ढंग से हों। यह प्रक्रिया आम चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने से शुरू की जा सकती है, और बाद में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया का भी इसी में विलय किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह यह है कि एक मतदाता एक साथ में सरकार के सभी स्तरों के सदस्यों को चुनने के लिए अपना वोट डालेगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनावों को विभिन्न चरणों में कराया जाएगा लेकिन देश भर में किसी भी क्षेत्र के लिए मतदान एक ही साथ होगा।

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

- जहॉ तक पंचायत चुनावों का विषय है हमारा यह मानना है कि यह चुनाव भी हम लोकसभा-विधानसभा चुनावों के साथ कर सकते हैं। हालांकि यह चुनाव करने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग के पास ही रहेगी। सिर्फ इसकी मूल मतदाता सूची लोकसभा-विधानसभा मतदाता सूची समान होगी और चुनाव का समय एक ही होगा। हालाँकि इस पर दूसरे चरण में विचार किया जा सकता है।
- पहले चरण में हमें लोकसभा, विधानसभा के चुनाव एक-साथ लेने की व्यवस्था तथा एक ही मतदाता सूची बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।
- इन सिद्धांतों को संवैधानिक/सांविधिक सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए और विभिन्न हितधारको- जैसे राजनीतिक दलों, सरकारों और आम जनता/मतदाताओं आदि को स्वीकार्य होना चाहिए। ऐसे स्वीकार्य सिद्धांतों को तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक और सांविधिक प्रावधानों को फिर से देखना आवश्यक है

अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि **एक राष्ट्र-एक चुनाव एक ऐसा सिद्धांत है की जिसका समय आ गया है और अपने देश के अमृतकाल में इस सिद्धांत को प्रस्थापित करके हमें हमारा युवा पीढ़ी को एक आदर्श शासन व्यवस्था सौपनी चाहिए।**

जय हिन्द

अनुलग्नक:-

एक देश-एक चुनाव के लागू करने पर कानूनों पर संशोधन करना होगा। मुख्य रूप से तीन प्रावधानों में परिवर्तन होगा-

1. भारतीय संविधान
2. परिसीमन अधिनियम (डिलीमिटेशन एक्ट) , 1951
3. जन प्रतिनिधि कानून

जिनमें महत्वपूर्ण प्रावधानों को अनुलग्नक में प्रस्तावित किया गया है।

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190
6-A, Deendayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 002, Phone : 011-23500000 Fax : 011-23500190 E-mail: jpnadda.bjp@gmail.com